ई-वाहनों को 31 मार्च के बाद सब्सिडी नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई फेम-2 योजना को सरकार 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाएगी। भारी उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को योजना की अवधि बढ़ाए जाने की खबर का खंडन करते हुए यह जानकारी दी। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च के बाद ई-वाहनों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। खबरों में कहा गया था कि सरकार ने योजना को 31 जुलाई तक चार महीने के लिए बढ़ा दिया है। इसके बाद यह स्पष्टीकरण आया है। इससे पहले मंत्रालय ने कहा था कि फेम-2 के तहत सब्सिडी 31 मार्च, 2024 तक या धन उपलब्ध होने तक बेचे जाने वाले ई-वाहनों के लिए मिलेगी।

अभी इतनी मिलती है सरकारी सहायता: भारी उद्योग मंत्रालय ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता और विनिर्माण में तेजी (फेम-दो) कार्यक्रम के लिए व्यय 10,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 11,500 करोड़ रुपये कर दिया गया। संशोधित व्यय के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया, इलेक्ट्रिक तिपहिया और इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन 7,048 करोड़ रुपये की सब्सिडी का लाभ उठाने के पात्र हैं।